पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 ई0 (चैत्र 11, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	419–423	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	83–87	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	51–59	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 1653/II(1)–2017–01(81)/2003–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600 में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री प्रदीप सिंह गर्ब्याल,
2. श्री नरेश कुमार आर्य,
3. श्री सुरेश पाल।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक, अधिशासी अभियन्ता के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्धन,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

08 मार्च, 2017 ई0

संख्या 182/XXXI(1)/2017/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सुश्री प्रभा आर्य, अनुभाग अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री प्रभा आर्य, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य/रिट याचिका संख्या 14/DB/2016, वीरेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य, और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य

एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उक्त रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के पारित होने वाले निर्णयों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5. सुश्री प्रभा आर्य, अनुसचिव की तैनाती आदेश पृथक से किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

08 मार्च, 2017 ई0

संख्या 337/XXXI(1)/2017/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत श्री बाला दत्त बेलवाल, अनुसचिव को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बाला दत्त बेलवाल, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0)/2015, राजेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य, और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उक्त रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के पारित होने वाले निर्णयों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5. श्री बाला दत्त बेलवाल, उप सचिव की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

17 मार्च, 2017 ई0

संख्या 03/नो0आई0/XXXVI(1)/2017–03 नो0आई0/2011–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री महेन्द्र मल्ल, अधिवक्ता को दिनांक 16–03–2017 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री महेन्द्र मल्ल का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 03/No-I/XXXVI(1)/2017-03 No. I/2011**, dated March 17, 2017 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

March 17, 2017

No. 03/No-I/XXXVI(1)/2017-03 No. I/2011.--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Mahendra Mall, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 16-03-2017 for District Headquarter Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Mahendra Mall be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

17 मार्च, 2017 ई0

संख्या 06/नो0बी0/XXXVI(1)/2017–02 नो0बी0/2009 T.C.-I–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 16–03–2017 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री अवनीश कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 06/No-B/XXXVI(1)/2017-02 No.-B/2009 T.C.-I**, dated March 17, 2017 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

March 17, 2017

No. 06/No-B/XXXVI(1)/2017-02 No.-B/2009 T.C.-I--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Avnish Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 16-03-2017 for Tehsil Laksar, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Avnish Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

17 मार्च, 2017 ई0

संख्या 11/नो0डी0/XXXVI(1)/2017–924(24)/92–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री प्रदीप कुमार डोबरियाल, अधिवक्ता को दिनांक 16–03–2017 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री प्रदीप कुमार डोबरियाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 11/No-D/XXXVI(1)/2017-924(24)/92**, dated March 17, 2017 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

March 17, 2017

No. 11/No-D/XXXVI(1)/2017-924 (24)/92.--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Pradeep Kumar Dobriyal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 16-03-2017 for Tehsil Chaubattakhal, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Pradeep Kumar Dobriyal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,

Secretary, Law-cum-L.R.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

15 मार्च, 2017 ई0

संख्या 320/X–1–2017–14(07)/2017–श्री प्रमोद कुमार भट्ट, सहायक वन संरक्षक/प्रभारी वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जिनकी जन्म तिथि दिनांक 02 जुलाई, 1957 है तथा सेवा में आने की तिथि 01 मार्च, 1978 है, द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन/नोटिस के क्रम में श्री भट्ट को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2–अतः वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 (भाग–2 से 4) के मूल नियम–56'ग' के तहत श्री प्रमोद कुमार भट्ट, सहायक वन संरक्षक/प्रभारी वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी दिनांक 31 मार्च, 2017 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

3–उक्त सेवानिवृत्ति की तिथि को श्री प्रमोद कुमार भट्ट के विरूद्ध कोई शासकीय धनराशि/व्यय का बकाया हो तो उसकी वसूली श्री प्रमोद कुमार भट्ट के सेवानिवृत्तिक देयकों में से नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जायेगी।

ज्योति नीरज खैरवाल,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/211–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 ई0 (चैत्र 11, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 23, 2017

No. 26/UHC/XIV-21/Admin.A/2008--Ms. Rajni Shukla, Civil Judge (Sr. Div.)/ACJM, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 10.01.2017 to 25.01.2017 with permission to suffix 26.01.2017 as Republic day holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 23, 2017

No. 27/UHC/XIV-a-36/Admin.A/2016--Sri Rajendra Kumar, Judicial Magistrate, Tanakpur, District Champawat is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 06.02.2017 to 15.02.2017 with permission to prefix 04.02.2017 & 05.02.2017 as second Saturday and Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 23, 2017

No. 28/UHC/XIV/87/Admin.A/2003--Smt. Shadab Bano, 7th Additional District and Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 20 days *w.e.f.* 10.01.2017 to 29.01.2017.

NOTIFICATION

March 03, 2017

No. 31/UHC/XIV-a/31/Admin.A/2015--Sri Ashutosh Tiwari, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 10.02.2017 to 19.02.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 03, 2017

No. 32/UHC/XIV-a/22/Admin.A/2010--Sri Yogesh Kumar Gupta, Additional Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days *w.e.f.* 20.02.2017 to 28.02.2017 with permission to prefix 19.02.2017 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 03, 2017

No. 33/UHC/XIV/24/Admin.A/2008--Sri Udai Pratap Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 13.02.2017 to 23.02.2017 with permission to suffix 24.02.2017 as Maha Shivratri holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

24 जनवरी, 2017 ई0

संख्या **1050/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016**–श्री यशवन्त सिंह राणा पुत्र श्री सैन सिंह राणा ग्राम मवाडा पो0 धोलतीर, जिला रूद्रप्रयाग का दिनांक **05–07–2016** को पुलिस विभाग देहरादून द्वारा वाहन संख्या यू0के0 07 ए0यू0–0.809 (कार) का निर्धारित गति सीमा से अधिक संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में लाइसेसिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग देहरादून द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 **1320130003841** जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT), LMV(T) व पहाड़ी मार्गों हेतु जारी किया गया है। जिसकी वैधता **01–04–2033** (अव्यवासायिक) व **29–10–2018** (व्यवासायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की

संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 931/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 26–12–2016 के माध्यम से श्री यशवन्त सिंह राणा पुत्र श्री सैन सिंह राणा, ग्राम मवाडा पो0 धोलतीर, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 18–01–2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेंस संख्या यू0के0 1320130003841 (वैद्यता उपरोक्त) को दिनांक 24–01–2017 से 23–04–2017 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ।

आदेश

24 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 1051/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री महावीर सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह ग्राम धारकोट, जिला रूद्रप्रयाग का दिनांक 24–10–2016 को पुलिस विभाग करनाल हरियाणा द्वारा वाहन संख्या जे0एच0 01वी0बी0–5000 का निर्धारित गति सीमा से अधिक संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में पुलिस विभाग करनाल हरियाणा द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320080002516 जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः LMV(NT), LMV(T) व पहाड़ी मार्गो हेतु पृष्ठांकित हेतु जारी किया गया है। जिसकी वैधता क्रमशः 09–03–2024 (अव्यवासायिक) व 26–06–2018 (व्यवासायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 929/सा0प्रशा0/2016 दिनांक 26–12–2016 के माध्यम से श्री महावीर सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह ग्राम धारकोट, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 18–01–2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेंस संख्या यू0के0 1320080002516 (वैद्यता उपरोक्त) को दिनांक 24–01–2017 से 23–04–2017 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ।

आदेश

25 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 1056/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बचन सिंह ग्राम जामू पो0 फाटा थाना गुप्तकाशी, जिला रूद्रप्रयाग का दिनांक 21–12–2016 को पुलिस विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा वाहन संख्या यू0के0 13–5636 (मोटर साइकिल) का शराब पीकर वाहन संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320110000928 जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया है, जिसकी वैधता 20–01–2027 (अव्यवासायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 949/सा0प्रशा0/2016 दिनांक 02–01–2017 के माध्यम से श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बचन सिंह ग्राम जामू फाटा थाना गुप्तकाशी, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 25–01–2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेंस संख्या यू0के0 1320110000928 (वैद्यता उपरोक्त) को दिनांक 25–01–2017 से 24–04–2017 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर

कार्यालय आदेश

13 फरवरी, 2017 ई0

पत्रांक 199/लाइसेन्स/निलम्बन/2017–श्री राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री दीनबन्धु, निवासी विन्धवासिनी कालोनी, खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK–0620060009711 के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण किये जाने हेतु प्रवर्तन दल विकासनगर द्वारा लाइसेन्स निलम्बन/निरस्त करने हेतु संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 89/लाइसेन्स/चालान–नोटिस/2017, दिनांक 20–01–2017 के द्वारा लाइसेन्स धारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया, लेकिन लाइसेन्स धारक द्वारा कार्यालय में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। संलग्न प्रपत्रों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा–19 के तहत चालक दोषी है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, लाइसेन्सिंग अथॉरिटी, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाइसेन्स संख्या UK–0620060009711 जो मोटर साइकिल/हल्का मोटरयान/एल0एम0वी0 (टी0) हेतु जारी हुआ है, को दिनांक 13–02–2017 से दिनांक 12–05–2017 तक (03 माह) हेतु निलम्बित करती हूँ।

अनिता चन्द,
लाइसेंन्सिंग अथॉरिटी मोटर वाहन विभाग,
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

04 मार्च, 2017 ई0

पत्र संख्या 1430/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा मार्ग चैकिंग के दौरान दिनांक 05–10–2016 को वाहन संख्या यू0के0 12टीबी–0504 (ऑटो रिक्शा) का चालान वाहन में कुल 10 सवारी बैठाने एवं चालक कक्ष में चालक सहित 03 सवारी बैठाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री विष्णु कुमार रावत पुत्र श्री साधो सिंह रावत, निवासी ग्राम गुराड मल्ला, पो0 एकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520050013475 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 918/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 04–11–2016 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 04–03–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुये तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुये भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520050013475 को दिनांक 04–03–2017 से दिनांक 03–06–2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

16 फरवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1431/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा मार्ग चैकिंग के दौरान दिनांक 07–02–2017 को वाहन संख्या यू0के0 12टीबी–0429 (ऑटो रिक्शा) का चालान वाहन में चालक कक्ष में 02 सवारी अतिरिक्त बैठाने, वाहन में कुल 10 सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री सोहन सिंह पुत्र श्री हरिसिंह, निवासी ग्राम घमण्डपुर मोटाढांक, तहसील जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520130022576 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1315/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 08–02–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 16–02–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुये तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुये भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520130022576 को दिनांक 16–02–2017 से दिनांक 15–05–2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

17 फरवरी, 2017 ई0

पत्र संख्या 1432/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, डालनवाला, देहरादून द्वारा मार्ग चैकिंग के दौरान दिनांक 10–12–2016 को वाहन संख्या यू0के0 12डी–0738 का चालान वाहन का संचालन शराब का सेवन किये जाने के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिये प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, डालनवाला, देहरादून ने वाहन चालक श्री परवेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, निवासी ग्राम बाड, तहसील लैन्सडौन, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520110012723 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1108/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 04–01–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 17–02–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुये तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुये भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520110012723 को दिनांक 17–02–2017 से दिनांक 16–05–2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/211–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 ई0 (चैत्र 11, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

24 जून, 2016 ई0

पत्रांक 517 / सॉलिड वेस्ट–उ0 / 2016–2017–नगर पालिका परिषद् नरेन्द्रनगर टिहरी, गढ़वाल सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298, उपधारा–2 खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016 बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

(क) यह उपविधि, नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि, नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर टिहरी, गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि, सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(iii) "नगरपालिका" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगरपालिका अधिनियम से हैं।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे –प्लास्टिक, पॉलीथिन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical Waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद्द बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Dimolition and Construction Waste) से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) ''व्ययन'' (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) 'भूमिकरण'' (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) ''निक्षालितक'' (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(xix) ''नगरपालिका प्राधिकारी'' (Municipal Authority) में म्युनिशिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) ''स्थानीय प्राधिकारी'' (Local Authority)' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका, क्षेत्र पालिका या ग्राम पालिका है।

(xxi). ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) ''सुविधा के परिचालक'' (Operator of a Facility)' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। 'प्रसंस्करण' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) ''पुनःचक्रण'' (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) ''पृथक्करण'' (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) ''भण्डारण'' (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) 'परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

3. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

4. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 4 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु

जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

12. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो मासिक यूजर चार्ज़ेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

13. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी।

14. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (User Charges)

बोर्ड बैठक दिनांक 22–09–2014 द्वारा निर्धारित

क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में
1	2	3
1.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अतिरिक्त ₹ 5000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	₹ 10.00
2.	मध्यम आय वाले घर (₹ 5000.00 से अधिक ₹ 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	₹ 20.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹ 30.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 5.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर ₹ 100.00 प्रतिमाह

1	2	3
5.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹ 200, मध्यम ₹ 300, तथा बडे ₹ 1000 प्रतिमाह
6.	होटल/लांजिग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 100/– 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 200/– एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 300/– प्रतिमाह
7.	अंग्रेजी शराब की दुकान	10 प्रतिदिन
8.	3/5 स्टार होटल	500 प्रतिमाह
9.	बारातघर (चेरिटेबल) (नान–चेरिटेबल)	₹ 200.00 प्रति उत्सव, ₹ 500.00 प्रति उत्सव
10.	बैकरी	₹ 100.00 प्रतिमाह
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक ₹ 100.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक ₹ 200.00, 101 से 300 तक ₹ 300.00 एवं उससे अधिक पर ₹ 500.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अवासीय)	100 बेड तक के लिये ₹ 1000.00 प्रतिमाह उससे अधिक ₹ 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक ₹ 500.00 उससे अधिक ₹ 1000.00 प्रतिमाह
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 250.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 500.00, 41 बेड से 100 बेड तक ₹ 1000.00, उससे अधिक ₹ 1500.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक ₹ 75.00 पैथोलॉजी ₹ 200.00 प्रतिमाह
16.	दुकान/चाय की दुकान	मोहल्ले की छोटी दुकान ₹ 20.00, बाजार की दुकान ₹ 50.00 शोरूम ₹ 100.00, छोटे मॉल ₹ 500.00, बहुमंजिले मॉल ₹ 1000.00 प्रतिमाह अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
17.	फैक्ट्री	छोटी ₹ 300.00, मध्यम ₹ 500.00 बड़ी ₹ 1000.00 प्रतिमाह
18.	वर्कशाप	छोटी ₹ 200.00, बडी ₹ 500.00 प्रतिमाह
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 5.00 प्रतिदिन
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/ प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 300.00, होटलों में विवाह ₹ 1000.00 प्रति उत्सव
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक ₹ 100.00, 1.0 घन मी0 तक ₹ 200.00, 3.0 घन मी0 तक ₹ 500.00, 6.0 घन मी0 तक ₹ 1000.00 इससे अधिक प्रति घन मी0 ₹ 100.00 अतिरिक्त
22.	कबाडी	छोटे ₹ 100.00, बडे ₹ 300.00 प्रतिमाह

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली–2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

संजय कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

दुर्गा राणा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।

उपविधि

16 मार्च, 2017 ई0

संख्या 711/भवन निर्माण उपविधि/न0पा0/2016–17/नरेन्द्रनगर–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298(2)(ए)(एच) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल ने अपने सीमा के अन्दर भवनों के नव निर्माण/पुनः निर्माण को विनियमित एवं नियन्त्रण करने हेतु उपविधि बनायी है, जिसका प्रकाशन सर्व साधारण के सुझाव एवं आपत्ति हेतु सूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर उक्त अधिनियम की धारा–301 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता हैं। यह उपविधि उत्तराखण्ड के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

भवन निर्माण/पुनः निर्माण उपनियम

1–परिभाषा–

(1) यह उपनियम नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल की भवन निर्माण उपनियमावली कहलायेगी।

(2) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अधिशासी अधिकारी से हैं।

(4) यह नियमावली वर्ष 2002–2003 कहलायेगी।

(5) भवन से तात्पर्य हर प्रकार के निर्माण से होगा चाहे वह किसी भी प्रकार के कार्य के लिये किया गया हो, जिसमें इमारत मकान दिवार, चबुतरा, नाली, नालियों के ऊपर की पट्टियाँ, दरवाजा, शौचालय, फर्श, रोशनदान, खिड़की, आलमारी किसी जगह की चाहर दिवारी नीव भरना, जीना बनाना, छज्जा बनाना, लेण्टर बरामदा, मन्दिर, मस्जिद आदि सम्मिलित है।

(6) परिवर्तन–भवन की परिभाषा में आने वाले सब निर्माण भीतरी परिवर्तन चाहे वह किसी भी प्रकार के लिए किया गया हो परिवर्तन की भाषा में आयेगा।

(7) नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर की सीमा के किसी भी स्थान पर यू0पी0 म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1916 की धारा–176 (1) द 178 से 186 तक पूर्ण रूप से कार्यवांही अमल में लायी जायेगी।

2– भवन निर्माण/पुनः निर्माण या किसी भी भवन में परिवर्तन बढ़ाने का आशय से नोटिस के साथ मानचित्र और सूचनाएं तीन प्रतियों में देनी होगी और निर्माण कार्य प्रस्तावित को स्वीकृति के लिए कार्य प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व कार्यालय को दिया जायेगा।

3–नोटिस के साथ निम्न विवरण व नक्शे रहेंगेः–

अ– स्थल नक्शा अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित स्थान का नक्शा एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित बातें प्रदर्शित होगीं:–

(1) स्थल की सीमायें और उसके माप तथा समीपवर्ती भूमि उसके स्वामी की हो।

(2) क्षेत्र का निर्माण खाका जिसमें कुल गलियों की चौड़ाई उसी स्थिति लम्बाई चौड़ाई व उनका उपयोग प्रदर्शित।

(3) पड़ोस की सड़कों की स्थिति तथा सड़कों के नाम।

(4) स्थल के चार मीटर दूरी के अन्दर वर्तमान सभी पास के सड़कों भवन भूमि आदि।

(5) स्थल का कुल क्षेत्रफल कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल, खाली स्थान/भूमि का क्षेत्रफल।

(6) पैमाने तथा उत्तरी चिन्ह।

ब– भवनों का नक्शा–भवनों के आगे भाग तथा खण्ड के विस्तृत नक्शे जो नोटिस के साथ भेजे जाये, 1 मीटर 1 सेन्टीमीटर के माप के खींचे जाने चाहिए और उनके विभिन्न रंगों से दिखाया जाना चाहिए।

(1) नालियों स्टोरों जल निकासी बिजली लाईन तथा अन्य जो प्रयोग की चीजों की स्थिति।

(2) शौच, स्नानागार, लिपन, मावदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

(3) नक्शों में नवनिर्माण जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जायेगा, उसको लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखलाया जायेगा।

(4) नक्शा बनाने वाले का नाम पता तथा उसकी योग्यता।

(5) उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(6) भवन का उद्देश्य।

4– नगरपालिका परिषद् नरेन्द्रनगर के क्षेत्रान्तर्गत भवन निर्माण के नक्शा बनाने हेतु नगरपालिका किसी भी नक्शा निवेशी को अधिकृत करेगी और उससे प्रतिवर्ष का नक्शा निवेशी शुल्क ₹.....प्राप्त कर अधिकृत करेगी।

5– (अ) नगरीय क्षेत्र में समस्त भूतल सहित दो मंजिला से अधिक अथवा 7.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन निर्माण आवस्थापना सुविधायें तथा वाटर वर्कस ओबर हेतु टेलीफोन एक्सचेन्ज आदि का विकास सुरक्षा के आवश्यक प्राविधानों के अनुरूप किया जाय, भूकम्प अथवा अन्य दैवी आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी भवन की अधिक ऊँचाई मार्ग की चौड़ाई तथ अग्रसैट के योग 15 गुणा से अधिक नहीं होगी, मार्गा अधिकार में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(ब) 10 मीटर तक ऊँचाई वाली भवनों की किसी भी दो ब्लॉक के मध्य परस्पर दूरी 03 मीटर आवश्यक होगी।

(स) ऐसे स्थानों पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जायेगा जिसमें भूस्खलन की तीव्रता अत्याधिक व निरन्तर सम्भावित हो अथवा उस स्थल के स्थानीय ढाल 60.0 अंश से अधिक न हो।

(द) भवन निर्माण का सुपरविजन अहर वास्तुविध की देखरेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा आपेक्षित रहे।

(य) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतः प्रमाण–पत्र नगरपालिका से प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश को कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।

6– भवन पूर्ण हो जाने पर भूस्वामी द्वारा पूर्णतः प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा वह नगरपालिका के अवर अभियन्ता/आर्किटैक्ट/भूस्वामी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

7– निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के एक माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा तथा एक वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर लेना आवश्यक होगा यदि किसी कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना–पत्र देकर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ा सकतें हैं, वह एक वर्ष तक मान्य होगी।

8– यदि निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी को यह संतुष्टि होती है कि नोटिस अथवा सूचना में दिये गये किसी गलत विवरणों के आधार पर अनुमति प्राप्त हुई हो तो दी गयी अनुमति निरस्त की जा सकती है, और सम्बन्धित निर्माण कार्य को नगरपालिका को तुड़वायी जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

9— यदि निर्माण कार्य चौराहे की जगह रास्ते व सड़क पर स्थित हो तो मकान के सम्पूर्ण अग्रभाग पर जिन रास्तों पर वह स्थित है उसके किनारे कम से कम जगह छोड़ी जायेगी और भवन प्रवेश आदि सड़क या आवासीय क्षेत्र में पार्क या खाली जगह को जाने वाली गली पर स्थित हो तो 1.52 मीटर जगह छोड़ी जाय।

10— कोई मन्दिर, मजिस्द, गुरूद्वारा या अन्य धार्मिक भवन का जब तक सड़क के मध्य से 4050 मीटर की दूरी पर उसके सामने वाला भाग न हो निर्माण नहीं किया जा सकता।

11— कोई भवन मानव के रहने हेतु या किराये पर रहने के लिए बनाया जायेगा तो भवन स्वामी को आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक शौचगृह बनायेगा।

12— यदि सड़क या सड़क के किनारे भवन के छत या छज्जे से बरसात का पानी गिरने के लिए पतनाला बनाया जाये तो पाईप छत से सड़क की नाली तक डाउन पाइप लगाना होगा। कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग खुला होना आवश्यक होगा और 70 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल से प्लाट/स्थान के लिए भवन निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(क) किसी भी शौचगृह को सड़क की ओर खुले रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) शौचालय में मल आदि को पूर्ण रूप से टैंक की व्यवस्था एवं सफाई की व्यवस्था आवश्यक है।

13— किसी भवन में मंजिल का तात्पर्य उन एक या एक से अधिक कमरों से है जिसका फर्श एक हो।

अ— पहली मंजिल की ऊचाई फर्श से छत के नीचे 03 मीटर से 04 मीटर तथा पहली मंजिल के पश्चात् प्रत्येक मंजिल के लिये 1.74 मीटर से 3.05 मीटर आवश्यक होगी।

14— आवासीय कमरों का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर से कम न होगा, न्यूनतम चौड़ाई 02 मीटर से कम न होगी। कमरों में दरवाजों के अतिरिक्त अथवा लोहे के शिकंजे रखे जायेंगे, खिड़की पूरी तरह से खुली बनायी जायेगी कमरों के छत के नीचे रोशनदान आवश्यक है। एक से अधिक मंजिलों के लिए जीना बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई 0.9144 मीटर से कम न होगी एवं रोशनी के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किया जायेगा।

15— किसी भी इमारत का छज्जा बरामदा/माहिवान या किसी प्रकार के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति भारतीय विद्युत अधिनियम और उसके समय–समय पर हुए परिवर्तनों में बनायी गयी ऊपर तरफ को बिजली लाईन को निर्धारित दूरियों के बीच नहीं दी जायेगी।

16— भवन आदि के निर्माण के समय किसी प्रकार का समान रास्तें में इकट्ठा नहीं किया जायेगा, जिससे यातायात को बाधा या सड़क एवं नाली आदि को क्षति न पहुँचे।

17— भवन निर्माण कार्यो के लिए नक्शें के साथ भूस्वामित्व बैनामा दाखिल करना अनिवार्य होगा, यदि किसी की पैतृक सम्पत्ति हो बैनामा नहीं हो उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का होगा।

18— भवन निर्माण नक्शे को स्वीकृति करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का होगा। प्रतिबन्ध यह है कि नजूल अनुभाग, हेल्थ विभाग, अवर अभियन्ता की पुष्टि की स्पष्ट संस्तुति के पश्चात् ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

19— पालिका/नगर पंचायत के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से नक्शे की स्वीकृति शुल्क देय नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि कार्यालय द्वारा यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जाये कि वह पालिका का कर्मचारी है/रहा है अन्य सगे सम्बन्धी के लिए लागू नहीं होगा।

20— किसी भूमि पर विवाद होने पर या न्यायालय में विचाराधीन विवाद के सम्बन्ध में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वाद का फैसला नहीं मिल जाता।

21— नवीन मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/अन्य धार्मिक स्थल की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं होता है।

22— भवन निर्माण सम्बन्धी अभिलेख 10 वर्ष बाद नष्ट कर दिये जायेगे।

23— भवन निर्माण का पुनः निर्माण नगरपालिका अधिनियम की धारा–173 (1) के अन्तर्गत स्वीकृति निर्धारित शुल्क जमा करने की तिथि से दो माह के अन्दर देना अनिवार्य होगा।

24— आवेदक का नोटिस तब तक मान्य नहीं होगा जब तक आवेदक निर्धारित शुल्क जमा ना कर दे तथा निकाय द्वारा आद्येयता प्रमाण–पत्र तथा रसीद साथ में संलग्न न कर दें।

शुल्क की दरें

1. 100 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक ₹ 500 तक।
2. 200 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक ₹ 1000 तक।
3. उक्त से अधिक पर प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसके किसी भाग के लिए ₹ 100 अतिरिक्त।
4. हर प्रकार के चार दिवारी के लिए ₹ 100।
5. समय वृद्धि हेतु प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 100।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों/अधिनियमों की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड लिया जायेगा जो ₹ 1000/– (एक हजार) तक हो सकता है। तथा उल्लंघन जारी रहा तो अर्थदण्ड लिया जायेगा जो अपराधी द्वारा प्रथम बार अपराध सिद्ध होने की तारीख से ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/211–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।